न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः—सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0—614/2026
चेवाड़ा थाना कांड सं0—50/26
बिहार राज्य बनाम् रमेश मांझी।

रमेश मांझी, पे0—राजो मांझी, उम्र लगभग 31 वर्ष,
साकिन—माने मुसहरी, थाना—चेवाड़ा, जिला—शेखपुरा। ....आवेदक।

<u>बनाम</u>

बिहार सरकार .... विपक्षी।

आवेदक की ओर से : श्री रंजीत कुमार, विद्वान अधिवक्ता।

विपक्षी की ओर से : श्री अरविंद कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

<u>आ दे श</u>

17.06.2026 काराधीन अभियुक्त रमेश मांझी की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो कि दिनांक 01.06.2026 से काराधीन है। चेवाड़ा थाना कांड सं0—50/26 के अंतर्गत 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 से उद्भूत है तथा इसी न्यायालय में लम्बित है, सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ये पूर्णतया निर्दोष हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के द्वारा पूर्व में इसके अलावा अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में इस केस के अलावा अन्य कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। आवेदक को बिल्कुल झूठा आरोप लगाकर इस केस में फंसाया गया है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति है, जिसे ग्रामीण राजनीति के तहत फंसाया गया है, जिसपर लगाया गया आरोप बिल्कुल झूठा एवं मनगढ़ंत व बनावटी है। आवेदक कानून का अनुपालन करने वाला शांतिप्रिय व्यक्ति है, जिसको फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदक श्रीमान के द्वारा दिये जाने वाले सभी निर्देशों का पालन करने को तैयार है तथा श्रीमान के निर्देशानुसार बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। आवेदक दिनांक 01.06.2026 से काराधीन है। अतः इनको जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

इसके विपरीत, विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत का विरोध किया गया। अतः उपरोक्त अभियुक्त को जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः—सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0—614/2026
चेवाड़ा थाना कांड सं0—50/26
बिहार राज्य बनाम् रमेश मांझी।

लगातार
17.06.2026

उभयपक्षों को सुना। अभियोजन का मामला संक्षेप में है कि चेवाड़ा थाना दिनांक 31.05.2026 को संध्या गश्ती एवं अवैध शराब छापामारी के विरूद्ध में समय करीब 17:00 बजे थाना से प्रस्थान किया था। गश्ती करते हुए समय करीब 08:00 बजे पी0एम0 में कमलगढ़ मोड़ पर था उसी समय माने मुसहरी से गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति शराब का बिक्री कर रहा है। इस सूचना को वरीय पदाधिकारी को देते हुए सूचना का सत्यापन करने हेतु कमलगढ़ मोड़ से प्रस्थान किया एवं माने मुसहरी पहुंचा और शराब का बिक्री कर रहे व्यक्ति के घर का घेराबंदी कर स्थानीय गवाह की खोजबीन किया, परन्तु कोई स्थानीय गवाह बनने को तैयार नहीं हुए, तो अपने साथ के सशस्त्र बल के सिपाही को एक दूसरे को जमा तलाशी लेते एवं देते हुए घर में घुसे तो देखे कि एक 10 लीटर वाला प्लास्टिक के उजला गैलन रखा हुआ है, जिसमें शराब जैसी गंध आ रही है। वही से रमेश मांझी को गिरफ्तार कर लिया। गैलन में रखे कुल 10.000 लीटर देशी चुलाई शराब को विधिवत नियमों का पालन करते हुए जप्ती सूची में अंकित किया गया तथा गिरफ्तारी मेमो बनाकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह विदित होता है कि प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया। अभियुक्त इस वाद में दिनांक 01.06.2026 से काराधीन है। घटनास्थल से 10.000 लीटर देशी चुलाई शराब बरामद किया गया है। जमानत आवेदन के पारा तीन के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। इनके विरुद्ध अनुसंधान जारी है।

अतः उक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए आवेदक की ओर से दाखिल उक्त जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए आवेदक की ओर से दस हजार रूपये के जमानत बंधपत्र एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि एक जमानतदार सगे—संबंधी होंगे तथा इस आशय का शपथ पत्र के साथ अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि——

1. इस तरह की घटना में दुबारा सम्मिलित नहीं होंगे।
2. आवेदक आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
3. आवेदक के विरूद्ध पूर्व में आपराधिक इतिहास पाये जाने पर इनका बंधपत्र स्वयं खंडित माना जाएगा।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा। **उपस्थितिः—सतीश कुमार झा** **जमानत आवेदन सं0—614/2026** **चेवाड़ा थाना कांड सं0—50/26** **बिहार राज्य बनाम् रमेश मांझी।**

लगातार

17.06.2026 4. अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियोजन आग्रहनुसार इनका बंधपत्र खंडित कर दिया जाएगा।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक 17—06—2026.

Date of Judgment/ Order	17—06—2026
Date of Reserving Judgment/Order	17—06—2026
Uploading Date	18—06—2026
Uploaded by	Naveen Kumar Chaudhary.